रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223063
SG-DL-E-17112020-223063

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2020/कार्तिक 21, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 192
No. 244]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2020/KARTIKA 21, 1942	[N. C. T. D. No. 192

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

(रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

सं.एफ.12(143)/2019/भू.व.भ./यो./रेरा न्यायाधिकरण–I/4578.—जबकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1395 (ई)से प्रकाशित भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–II, खंड 3, उप–खंड (ii) दिनांक 02 मई, 2017 के द्वारा निर्देश दिया कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के अन्तर्गत उपयुक्त सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन होंगी और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में, उपराज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करेंगें ।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उपयुक्त सरकार होने के नाते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजनार्थ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 46 की उपधारा (3) के प्रावधान के तहत चयन समिति के गठन को अनुमोदित करते हैं ।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी या प्रशासनिक) के चयन के लिए चयन समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 25 के उप–खंड (3) के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी या प्रशासनिक) की नियुक्ति के लिए, उपयुक्त सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को नामों की सिफारिश की है ।

अब, इसलिए, भारत सरकार के दिनांक 2 मई, 2017 के एस. ओ. सं. 1395(ई) के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 के 16) की धारा 46 की उप धारा (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी या प्रशासनिक) के रूप में नियुक्त करते हैं :–

1. श्री लॉरेन बामनियाल पुत्र स्व. श्री के. एल. बामनियाल - सदस्य (न्यायिक)
2. श्री शिव प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री सर्व सुख सिंह - सदस्य (तकनीकी या प्रशासनिक)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी या प्रशासनिक) के पद का कार्यकाल पांच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु तक होगा, उनके कार्यालय ग्रहण करने की तिथि से इनमें जो भी पहले हो और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

नियुक्ति की सेवा के निबंधन और शर्तों को अलग से अधिूसचित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश व उनके नाम पर,
सरोज गुप्ता, उपनियंत्रक लेखा (भूमि एवं भवन विभाग)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th November, 2020

No. F.12(143)/2019/L&B/Plg./RERA TRIBUNAL-I/4578.—Whereas the Ministry of Home Affairs, Government of India, vide Notification S.O. No. 1395 (E) published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary Dated 2nd May, 2017 directed that powers of the appropriate Government under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised, in relation to the National Capital Territory of Delhi, by the Lieutenant Governor thereof;

And whereas the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi being the appropriate Governmentapproved constitution of the Selection Committee under the provision of Sub-section (3) of Section 46 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016(16 of 2016) for the purpose of selection of Members of the Real Estate Appellate Tribunal for National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh.

And whereas the Selection Committee for the selection of Member (Judicial) and Member (Technical or Administrative) of the Real Estate Appellate Tribunal for National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh has recommended the names to the appropriate Government, National Capital Territory of Delhi for appointment of Member (Judicial) and Member (Technical or Administrative)of the Real Estate Appellate Tribunal

for National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh under the provision of Sub-rule(3)of Rule 25 of The National Capital Territory of Delhi Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2016.

Now, therefore, in exercise of powers under Sub-section (3) of Section 46 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) read with Government of India S.O. No. 1395 (E) dated the 2nd May, 2017, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following as Member (Judicial) and Member (Technical or Administrative) of the Real Estate Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh:-

1. Shri Lorren Bamniyal Son of Late Shri K. L. Bamniyal - Member (Judicial)
2. Shri Sheo Pratap Singh Son of Late Shri Sarv Sukh Singh - Member (Technical or Administrative)

The tenure of office of the Member (Judicial) and Member (Technical or Administrative) of the Real Estate Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh shall be five years or till attaining the age ofsixty-five years, whichever is earlier, from the date they enter upon their officeand shall not be eligible for re-appointment.

The terms and conditions of service of appointment will be notified separately.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SAROJ GUPTA, Dy. Controller of Accounts (L&B)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.11.17 14:16:53 +05'30'